

कार्यालय सचिव मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसिडेंशियल एकेडमिक
सोसायटी (MPSARAS) भोपाल

क्र./एमपीसरस/464/2020/886

भोपाल दिनांक 27.07.2020

प्रति,

सर्व कलेक्टर/अध्यक्ष,
मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसायटी
(एमपीसरस) जिला स्तरीय समिति
मध्यप्रदेश

विषय:-मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसायटी (एमपीसरस) के बायलाज एवं भर्ती नियम की स्वीकृति बाबत ।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन, आदिमजाति कल्याण विभाग के जापन क्रमांक/3-1/2015/25-2/336 दिनांक 14.7.2020

विभाग द्वारा विशिष्ट आवासीय विद्यालयों का संचालन मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसायटी (एमपीसरस) के अधीन किया जा रहा है जिसकी सूची संलग्न है । उक्तानुसार मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसायटी (एमपीसरस) के नवीन संशोधित बायलाज की प्रति संलग्न है उक्त बायलाज में दिए गए निर्देशानुसार इन विद्यालयों का संचालन करें ।

आयुक्त आदिवासी विकास

सह सचिव

मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसिडेंशियल एकेडमिक
सोसायटी (MPSARAS) भोपाल

क्र./एमपीसरस/464/2020/887

भोपाल दिनांक 27.07.2020

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिमजाति कल्याण विभाग ।
2. समस्त संभागीय उपायुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश ।
3. सर्व सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश ।
4. सर्व प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मध्यप्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त आदिवासी विकास

सह सचिव

मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसिडेंशियल एकेडमिक
सोसायटी (MPSARAS) भोपाल

(1)

मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/एफ 3-1/2015/25-2/336
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14-7-2020

आयुक्त,
आदिवासी विकास,
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय:- मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसायटी (MPSARAS) के बायलॉज एवं भर्ती नियम की स्वीकृति ।

मंत्रि परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 15 दिनांक 27 नवम्बर 2019 के अनुमोदन अनुसार मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्रालय आदेश क्रमांक एफ 03-01/2015/25-02/964 भोपाल दिनांक 28.12.2019 के द्वारा विभागीय 123 विशिष्ट आवासीय विद्यालय का संचालन मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसायटी (MPSARAS) के अधीन किये जाने की स्वीकृति दी जाकर सोसायटी के बायलॉज की स्वीकृति दी गई थी ।


शासन आदेश द्वारा स्वीकृत बायलॉज की कंडिका - 25 सोसायटी के बायलॉज की वैधता/संशोधन में लेख है कि "समय-समय पर इन नियमों में संशोधन/परिवर्तन संचालक मण्डल की अनुशंसा पर आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा किया जा सकेगा"। मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसायटी (MPSARAS) के प्रचलित बायलॉज की कंडिकाओं में परिशिष्ट 'अ' अनुसार संशोधन कर संचालक मण्डल की 35वीं बैठक दिनांक 17.06.2020 में अनुमोदन प्राप्त किया गया है ।

उक्त के साथ ही मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसायटी (MPSARAS) के अंतर्गत संचालित 123 विशिष्ट आवासीय विद्यालयों तथा राज्य स्तरीय सोसायटी के पदों के लिए तैयार भर्ती नियमों का परिशिष्ट 'ब' अनुसार संचालक मण्डल की 35वीं बैठक दिनांक 17.06.2020 में अनुमोदन प्राप्त किया गया है ।

उपरोक्तानुसार परिशिष्ट 'ब' अनुसार संशोधित बायलॉज एवं परिशिष्ट 'स' अनुसार भर्ती नियमों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाती है ।

उक्त बायलॉज एवं भर्ती नियम जारी होने के दिनांक से लागू होंगे ।

AD (EMAS)
शुभमा शर्मा
16/7


(सुभमा शर्मा)
उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग

(2)

भोपाल, दिनांक 14/07/2020

3-1/2015/25-2/336

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, आदिम जाति कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग।
3. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
4. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन।
5. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
6. आयुक्त कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल।
7. सर्व संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
8. वित्तीय सलाहकार, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग।
9. सर्व संबंधित संभागीय उपायुक्त मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश।
10. सर्व संबंधित सहायक आयुक्त/जिला संयोजक मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश।
11. सर्व संबंधित प्राचार्य कन्या शिक्षा परिसर, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, आदर्श उमावि मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश।
12. आई.टी. शाखा प्रभारी, कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास की ओर विभागीय वेब-साइट पर अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाईल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


(सुषमा शर्मा)

उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन

आदिम जाति कल्याण विभाग

BYE-LAWS

Of

Madhya Pradesh Special and Residential Academic

Society

(MP-SARAS)

Byelaws of the MP Special And Residential Academic Society (MPSARAS)

विषय	पृष्ठ संख्या
1. शीर्षक प्रारंभ	3
2. उद्देश्य	3
3. कार्यक्षेत्र	3
4. परिभाषा	3-4
5. मुख्यालय	4
6. राज्य स्तरीय संचालक मण्डल	4-5
7. प्राधिकार	5
8. अध्यक्ष	5
9. उपाध्यक्ष के अधिकार	6
10. सचिव के कार्य	6
11. अधिकारी/ कर्मचारी की नियुक्ति/भर्ती	7
12. वार्षिक आम सभा की बैठक	7
13. संचालक मण्डल की बैठक	7
14. स्थानापन्न व्यक्ति को नामित करने का अधिकार	7
15. एजेण्डा	7
16. कार्यवाही विवरण	7
17. कोरम	7
18. राज्य स्तरीय कार्यपालिक समिति	8
19. जिला स्तरीय समिति	8-9
20. विद्यालयीन समिति	9-11
21. सोसायटी के संचालन हेतु विभिन्न नियम	11-12
22. वित्तीय संसाधन	12
23. आडिटर्स	12
24. वार्षिक प्रतिवेदन	12
25. वित्तीय अधिकार	12-14
26. बॉयलॉज की वैद्यता एवं संशोधन	14
27. सोसायटी का भंग करने का अधिकार	15

el .

1. शीर्षक प्रारंभ

1. ये उपनियम "मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसीडेंशियल एकेडमिक सोसायटी नियम" कहलायेंगे।
2. यह उपनियम सोसाइटी मुख्यालय सहित उसकी समस्त इकाईयों पर लागू होंगे।
3. यह उपनियम म.प्र. शासन के अनुमोदन दिनांक से लागू होंगे।

2. उद्देश्य

1. सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त स्कूली शिक्षा प्रदाय करना है।
2. सोसाइटी मुख्यतः विद्यार्थियों के शैक्षणिक गतिविधियों के अन्तर्गत कार्य करते हुए उन्हें नवीनतम शिक्षा प्रणाली के अनुसार नये प्रयोगों के साथ स्कूली शिक्षा प्रदाय करते हुए राज्य एवं देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश दिलाने तथा जीवन स्तर के उन्नयन हेतु कार्य करेगी।

3. कार्य क्षेत्र

सोसाइटी का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा।

4. परिभाषा

1. "सोसाइटी" से तात्पर्य मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसीडेंशियल एकेडमिक सोसायटी से है, जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है।
2. "आम सभा" से तात्पर्य सोसाइटी के अधीन जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि तथा राज्य स्तरीय संचालक मण्डल के समस्त सदस्य से है।
3. "संचालक मण्डल" से तात्पर्य सोसाइटी नियम 6 के अन्तर्गत बनाया गया संचालक मण्डल से है।
4. "अध्यक्ष" से तात्पर्य संचालक मण्डल के अध्यक्ष से है।

5. "उपाध्यक्ष" से तात्पर्य संचालक मण्डल के उपाध्यक्ष से है।
6. "सचिव" से तात्पर्य संचालक मण्डल के सचिव से है।
7. "कार्यकारिणी समिति" से नियम-18 के अंतर्गत गठित समिति से है।
8. "सदस्य" से तात्पर्य संचालक मण्डल के सदस्य से है।
9. "कार्यपालन यंत्री" से तात्पर्य आदिवासी विकास विभाग से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कार्यपालन यंत्री से है।
10. वित्तीय अधिकारी से तात्पर्य वित्त विभाग से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी से है।
11. "जिला कलेक्टर" से तात्पर्य उस जिले के कलेक्टर से है।
12. "जिला स्तरीय समिति" से तात्पर्य नियम-19 के अंतर्गत गठित समिति से है।
13. "जिला अधिकारी" से तात्पर्य उस जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला स्तर के अधिकारी से है।
14. "प्राचार्य" से तात्पर्य सोसाइटी के अधीन संचालित आवासीय विद्यालय के प्राचार्य से है।
15. "विद्यालयीन समिति" से तात्पर्य नियम 20 के अन्तर्गत राज्य स्तरीय सोसाइटी से संबद्ध आवासीय विद्यालय समिति से है।

5. मुख्यालय

सोसाइटी का मुख्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास का कार्यालय होगा।

6. राज्य स्तरीय संचालक मण्डल

राज्य स्तरीय संचालक मण्डल में निम्न सदस्य होंगे:-

- | | |
|--|------------|
| i. मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग- | अध्यक्ष |
| ii. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जातिकल्याण विभाग - | उपाध्यक्ष |
| iii. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग- | सदस्य |
| iv. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग- | सदस्य |
| v. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग- | सदस्य |
| vi. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग- | सदस्य सचिव |
| vii. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास- | सदस्य |
| viii. आयुक्त, समाज कल्याण विभाग- | सदस्य |

92

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकृत प्रतिनिधि
(जो अवर सचिव/संचालक स्तर से अनिम्न न हो)

विशेष आमंत्रित सदस्य

- x. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र- सदस्य
- xi. परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश शासन, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, लोक निर्माण विभाग सदस्य
- xii. प्राचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान सदस्य
- xiii. केन्द्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय संगठन के म.प्र., रीजनल कार्यालय के प्रभारी अधिकारी- विशेष आमंत्रित सदस्य

6-(अ) संचालक मण्डल के कार्य एवं उत्तरदायित्व :-

1. सोसायटी (MPSARAS) के अंतर्गत आने वाले समस्त शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में नीतिगत निर्णय ।
2. अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित करना ।
3. सोसायटी (MPSARAS) के अंतर्गत आने वाले समस्त शैक्षणिक संस्थाओं के लिए तैयार वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन एवं समस्त स्रोतों से प्राप्त वित्तीय संसाधनों का अनुमोदन ।

7. प्राधिकार

निम्न प्राधिकारियों को सोसाइटी के प्राधिकार प्राप्त होंगे:-

1. अध्यक्ष
2. उपाध्यक्ष
3. सचिव

8. अध्यक्ष:-

अध्यक्ष को निम्न शक्ति प्राप्त होंगी:-

1. सोसाइटी के अन्तर्गत आने वाले सभी विषयों एवं सोसाइटी के उद्देश्यों की पूर्ति करने संबंधी कार्य कलापों/गतिविधियों की समय-समय पर बैठकों के माध्यम से समीक्षा करते हुए बैठक में प्रस्तुत विषयों पर अनुमोदन करना।
2. सोसाइटी के कार्यों की प्रगति एवं उपलब्धि की समीक्षा संचालक मण्डल की बैठक के माध्यम से करना।
3. सोसाइटी के उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक/प्रशासकीय/वित्तीय मानकों का संचालक मण्डल की बैठक में अनुमोदन करना।
4. समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर सोसाइटी के बायलॉज अनुसार उन्हें प्रदत्त अधिकार, उपाध्यक्ष एवं सचिव को प्रत्यायोजित करना।

9. उपाध्यक्ष के अधिकार

उपाध्यक्ष के निम्न अधिकार रहेंगे:-

1. संचालक मण्डल के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करना ।
2. विशेष परिस्थितियाँ में अथवा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संचालक मण्डल की बैठक की अध्यक्षता करना।
3. सोसायटी के कर्मियों पर आचरण नियमों के अन्तर्गत अपीलिय अधिकारी के रूप में कार्य करना ।

10. सचिव के कार्य:-

1. संचालक मण्डल की बैठक आयोजित कराना एवं कार्यवाही विवरण जारी कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।
2. सोसायटी (MPSARAS) के अंतर्गत आने वाले समस्त शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में नीतिगत निर्णय हेतु विषय प्रस्तुत करना ।
3. कार्य समिति के अनुमोदन उपरान्त वार्षिक कार्य योजना संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना ।
4. सोसायटी (MPSARAS) के अंतर्गत आने वाले समस्त शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय व्यय प्रस्तुत करना ।
5. कार्यपालिक समिति के अनुमोदन उपरान्त सोसायटी को समस्त स्रोतों से प्राप्त अनुदान/ राशि का सोसायटी के अंतर्गत संचालित संस्थाओं एवं सोसायटी मुख्यालय के कार्यों हेतु उपयोग सुनिश्चित करना ।
6. सोसायटी अंतर्गत समस्त संस्थाओं में की जा रही समस्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा करना एवं उत्कृष्ट गुणवत्ता की शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने हेतु प्रयास करना ।
7. सोसायटी के बैंक खातों का संचालन करना।
8. सोसायटी एवं विद्यालयों के लिए समय-समय पर नियम व उपनियम तैयार कर कार्यपालिक समिति को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना।
9. सोसायटी के समस्त लेखा-जोखा एवं अभिलेखों का संधारण एवं वार्षिक अंकेक्षण कराना ।
10. सोसायटी के कर्मियों की सेवा नियमों के अन्तर्गत स्थापना संबंधी समस्त कार्य करना।
11. समय समय पर आवश्यकतानुसार सचिव उन्हें प्रदत्त प्रशासकीय/वित्तीय अधिकार, कार्यपालिक समिति के अनुमोदन से उपसचिव को प्रत्यायोजित कर सकेंगे।

el.

1. अधिकारी/कर्मचारी की नियुक्ति/भर्ती:-

राज्य स्तर एवं विद्यालय स्तर पर अधिकारी/कर्मचारी एवं शैक्षणिक स्टाफ की भर्ती समय-समय पर संचालक मण्डल द्वारा नियम 21 के प्रावधान अन्तर्गत अनुमोदित भर्ती नियमों के अन्तर्गत की जाएगी।

26

12. वार्षिक आम सभा की बैठक:-

वर्ष में एक बार आम सभा की बैठक अध्यक्ष की अनुमति से आयोजित की जाएगी जिसमें सोसाइटी का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक का कोरम नियत नहीं होगा।

13. संचालक मण्डल की बैठक:-

1. अध्यक्ष से प्राप्त तिथि एवं समय अनुसार संचालक मण्डल की बैठक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम दो बार आहूत की जाएगी।
2. संचालक मण्डल की समस्त बैठकों की लिखित सूचना सचिव द्वारा समस्त सदस्यों को कम से कम 7 दिवस पूर्व दी जाएगी। सूचना पत्र में बैठक की तिथि समय एवं स्थान को स्पष्ट करना होगा। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी सदस्यों को सूचना प्राप्त हो जाए। परन्तु अपरिहार्य कारणों से बैठक तत्कालिक रूप से अध्यक्ष की अनुमति से बुलाई जा सकेगी।

14. स्थानापन्न व्यक्ति को नामित करने का अधिकार:-

यदि कोई सदस्य संचालक मण्डल की बैठक में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो उसकी सूचना पर उसके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि को बैठक में सम्मिलित होने की अनुमति अध्यक्ष द्वारा दी जा सकेगी।

15. एजेण्डा:-

प्रत्येक बैठक का विषयवार एजेण्डा सचिव द्वारा तैयार कर समस्त सदस्यों को भेजा जाएगा जिस पर बैठक में चर्चा होगी।

16. कार्यवाही विवरण:-

बैठक सम्पन्न होने के 7 दिवस के अंदर सचिव, अध्यक्ष के अनुमोदन से बैठक का कार्यवाही विवरण जारी करेंगे।

7. कोरम:-

बैठक में 1/3 (एक तिहाई) सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मानी जाएगी।

18. राज्य स्तरीय कार्यपालिक समिति :-

- 1. प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण - अध्यक्ष
- 2. आयुक्त, आदिवासी विकास - सदस्य सचिव
- 3. आयुक्त, लोक शिक्षण - सदस्य
- 4. आयुक्त अनुसूचित जाति विकास- सदस्य
- 5. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र - सदस्य
- 6. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग सदस्य
- 7. प्रशासक/उप सचिव, एम.पी.सरस सदस्य
- 8. सहायक संचालक/उप संचालक(वित्त) सदस्य

18.(अ) कार्य एवं उत्तरदायित्व -

- 1. संचालक मंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन ।
- 2. सोसायटी (MPSARAS) के अंतर्गत आने वाले समस्त शैक्षणिक संस्थाओं हेतु वार्षिक कार्य योजना एवं वार्षिक बजट तैयार करना एवं क्रियान्वयन ।
- 3. सोसायटी (MPSARAS) के अंतर्गत समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाले अनुदान/राशि का कार्य योजना अनुसार अनुमोदन एवं क्रियान्वयन/समीक्षा ।
- 4. अन्तर्विभागीय समन्वय ।
- 5. शैक्षणिक गतिविधियों हेतु संस्थाओं, संसाधनों के सहयोग से नवाचार ।
- 6. सोसायटी (MPSARAS) के अंतर्गत आने वाले समस्त शैक्षणिक संस्थाओं के संचालन के कार्यकलापों की मॉनिटरिंग एवं समीक्षा ।

18 (ब) अध्यक्ष से प्राप्त तिथि एवं समय अनुसार कार्यपालिक समिति की बैठक वित्तीय वर्ष में अनिवार्यतः आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष कार्यपालिक समिति की बैठक त्रैमास के पूर्व भी आहूत कर सकेंगे ।

19 . जिला स्तरीय समिति:-

प्रत्येक जिले के स्तर पर एक समिति होगी जो राज्य स्तरीय सोसाइटी की इकाई होगी। जिसकी निम्नानुसार होगी:-

- 1. जिला कलेक्टर - अध्यक्ष
- 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी., जिला पंचायत - सदस्य
- 3. जिला शिक्षा अधिकारी - सदस्य
- 4. कार्यपालन यंत्री, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (लोक निर्माण विभाग) - सदस्य
- 5. जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास - सदस्य
- 6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी - सदस्य
- 7. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट)-सदस्य
- 8. जिले के अथवा निकटतम, केन्द्रीय विद्यालय /नवोदय विद्यालय के प्राचार्यों में से कलेक्टर द्वारा नामांकित एक - सदस्य
- 9. सोसाइटी के अधीन संचालित विद्यालयों के प्राचार्य -सदस्य
- 10.. सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिवासी विकास विभाग -सदस्य सचिव

91

19 (अ) जिला स्तरीय समिति के कार्य :-

1. सोसायटी (MPSARAS) के अंतर्गत संबंधित जिले में आने वाली समस्त शैक्षणिक संस्थाओं हेतु वार्षिक कार्य योजना एवं वार्षिक बजट का अनुमोदन, क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग ।
2. संस्थाओं के बेहतर संचालन एवं विकास के लिए अन्य विभागों से समन्वय ।
3. सोसायटी (MPSARAS) के अंतर्गत संबंधित जिले में आने वाली समस्त शैक्षणिक संस्थाओं हेतु शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेलकूद एवं संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करना ।
4. विभिन्न प्रकार के अधोसंरचना विकास के कार्यों की प्रगति की समीक्षा ।
5. शैक्षणिक संस्थाओं हेतु शिक्षा गुणवत्ता में वृद्धि हेतु प्रयास करना ।
6. स्कूलों की गतिविधियों को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता और जनसहयोग ।
7. शैक्षणिक संस्थाओं/शाला में विभिन्न गतिविधियों का जनसहयोग से संचालन ।
8. राज्य स्तरीय सोसायटी को संस्थाओं के शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों के संचालन में सुझाव प्रदाय करना ।
9. राज्य स्तरीय सोसायटी द्वारा दी गई अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन करना ।

19 (ब) अध्यक्ष से प्राप्त तिथि एवं समय अनुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक वित्तीय वर्ष में त्रैमासिक आहूत की जाएगी।

20. विद्यालयीन समिति

1. संबंधित विद्यालय के राजस्व अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) - अध्यक्ष
2. अनुभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग - सदस्य
3. अनुभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग - सदस्य
2. विकासखंड चिकित्सा अधिकारी - सदस्य
3. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास - सदस्य
4. संबंधित संस्था के प्राचार्य - सदस्य-सचिव
5. विद्यालय के वरिष्ठ व्याख्याता - सदस्य
6. कक्षा 10 वीं के मेरिट में सर्वाधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के पालक (एक बालक एवं एक बालिका के) - सदस्य

pl

20 (अ) अध्यक्ष से प्राप्त तिथि एवं समय अनुसार विद्यालयीन समिति की बैठक प्रतिमाह आहूत की जाएगी।

20 (ब) विद्यालयीन समिति के कार्य/शक्ति:-

विद्यालय समिति राज्य सोसाइटी के अधीन रहेगी और उसके द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगी परन्तु दैनिक क्रियाकलापों के संचालन हेतु स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करेगी। उसके कार्य निम्नानुसार रहेंगे तथा यही समिति विद्यालय की प्रबंध समिति भी होगी-

1. प्रत्येक वर्ष विद्यालय का वार्षिक बजट एवं कार्ययोजना तैयार कर नियमित बैठक कर कार्ययोजना को अनुमोदित करना।
2. विद्यालय की समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ (यथा प्रवेश, कक्षाओं का विधिवत संचालन, कक्षावार एवं विषयवार, पाठ्यक्रमानुसार टाइम टेबल बनाना) इत्यादि की कार्ययोजना तैयार करना।
3. विद्यार्थियों का बायोडाटा तैयार कर उसका संधारण करना। विद्यार्थियों के प्रवेश से लेकर उसके शाला त्यागने तक का, उनकी समस्त गतिविधियों का रिकार्ड रखना, उनके सर्वांगीण विकास के लिए सतत् प्रयास करना।
4. विद्यालय में करियर प्रोसेसन एवं गाईडेंस सेन्टर का सुचारू रूप से संचालन करना।
5. विद्यालय के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के साथ नवीनतम शिक्षा प्रणाली के नए-नए प्रयोग करना, स्थानीय स्तर पर नवाचार करना।
6. विद्यालय की अन्य गतिविधियां यथा खेल, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि को बढ़ाने का कार्य करना।
7. विद्यालय के भवनों को साफ-सुन्दर एवं स्वच्छ बनाए रखना। स्थानीयजन के सहयोग से वातावरण के अनुसार बागवानी कराना, खेल मैदान का रखरखाव आदि कार्य करना।
8. शाला को सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट बनाने हेतु प्रयास करना।
9. समय समय पर बैठक आयोजित कर विद्यालय के संचालन हेतु आवश्यक निर्णय लेना।

११

10. राज्य स्तरीय सोसाइटी से प्राप्त बजट का बायलॉज एवं संचालक मण्डल के निर्देशों के अनुसार वित्तीय नियमों के अन्तर्गत व्यय सुनिश्चित करना। विद्यालय एवं विद्यार्थियों हेतु नियत सामग्री का क्रय, विद्यालय के रख रखाव, मेन्टेनेन्स का कार्य करना ।
11. आवासीय परिसर में निवासरत विद्यार्थियों की अन्य व्यवस्था यथा भोजन (खान-पान), भोजन मेनू तैयार कर उसका पालन करना, आवासीय सुविधा आदि को व्यवस्थित रखना ।
12. विद्यार्थियों के पालकों को विद्यालय से निरंतर जोड़ने का प्रयास करना, पालक समिति की बैठकों की निरन्तरता सुनिश्चित करना ।
13. विद्यार्थियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित करना एवं विद्यार्थियों को आकस्मिक सहायता प्रदान करना ।
14. संचालक मण्डल द्वारा समय-समय पर प्रदत्त निर्देशों का पालन करना एवं उनके द्वारा सौंपे गए कार्य करना ।
15. अन्य विभागों से समन्वय करना ।

21. सोसाइटी के संचालन हेतु विभिन्न नियम:-

1. भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के लिए पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा जारी सेवा भर्ती नियम मान्य किये जायेंगे ।
2. सोसायटी अंतर्गत राज्य पोषित संस्थाओं को प्रशासकीय विभाग के द्वारा भारत सरकार के नियम अथवा राज्य सरकार के पृथक से तैयार किये गये नियम लागू किये जा सकेंगे ।
उपरोक्तानुसार लागू किये जाने वाले नियम "मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसीडेंशियल एकेडमिक सोसायटी भर्ती एवं पदोन्नति नियम कहलाएंगे"।
3. सोसाइटी के मुख्यालय एवं विद्यालय इकाई में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों पर म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आचरण नियम 1965 तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रचलित वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 लागू होंगे ।

92

22. वित्तीय संसाधन:-

सोसाइटी निम्न स्रोतों से संसाधन प्राप्त कर उपयोग कर सकेगी-

1. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान
2. राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान
3. किसी गैर शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्था से अनुदान
4. व्यक्ति के द्वारा निजी दान स्वरूप प्राप्त राशि।

23. ऑडिटर्स:-

राज्य स्तरीय एवं विद्यालय स्तरीय सोसाइटी के खातों का प्रतिवर्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से ऑडिट किया जावेगा ।

24. वार्षिक प्रतिवेदन:-

संचालक मण्डल की वार्षिक बैठक में सचिव, सोसाइटी से संबंधित सभी रिपोर्ट यथा वित्तीय उपलब्धि, भौतिक उपलब्धि, इत्यादि सभा मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

25. वित्तीय अधिकार:-

अ. सामान्य वित्तीय अधिकार

क्र	मद/विषय	प्राधिकारी	वित्तीय अधिकार	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	राज्य स्तरीय सोसाइटी को सभी स्रोतों से प्राप्त फंड/राशि के उपयोग	सचिव	पूर्ण शक्तियाँ	कार्यपालिक समिति के अनुमोदन उपरान्त
2	सोसाइटी मुख्यालय हेतु आकस्मिक व्यय	वित्तीय अधिकारी राज्य सोसाइटी	अधिकतम रुपये 25000/-	सचिव के अनुमोदन उपरान्त
3	ज़िला अंतर्गत आने वाली विशिष्ट विद्यालयों में विद्यार्थी एवं संस्था मद में व्यय	कलेक्टर	विद्यालय की वार्षिक वित्तीय सीमा एवं उसके अतिरिक्त स्वीकृत कार्ययोजना तक पूर्ण अधिकार	राज्य स्तरीय सोसाइटी के द्वारा दी गई स्वीकृति के उपरान्त
4	विद्यालय में विधार्थी मद, संस्था मद एवं स्थापना व्यय	प्राचार्य	विद्यालय की वार्षिक वित्तीय सीमा तक के पूर्ण अधिकार	राज्य स्तरीय सोसाइटी के द्वारा दी गई स्वीकृति के उपरान्त

क्र	मद/विषय	प्राधिकारी	वित्तीय अधिकार	रिमार्क
1	एकलव्य आवासीय विद्यालय सोसाईटी हेतु विभिन्न योजनाओं के अधीन निर्माण कार्यों पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना	सचिव	पूर्ण अधिकार	-
		कलेक्टर (सचिव जिला समिति)	1.00 करोड़	
2	एकलव्य आवासीय विद्यालय सोसाईटी हेतु विभिन्न योजनाओं के अधीन सुदृढीकरण एवं अनुरक्षण के कार्यों पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना	सचिव	पूर्ण अधिकार	-
		कलेक्टर (सचिव जिला समिति)	रुपये 15.00 लाख	
3	एकलव्य आवासीय विद्यालय सोसाईटी हेतु विभिन्न निर्माण कार्यों की निविदा आमंत्रित करना, ठेके एवं अनुबन्ध को स्वीकार करना	सचिव	पूर्ण अधिकार	कार्यपालन यंत्री की सलाह पर निविदा प्रतिशत को जोड़ने के पश्चात राशि सीमा में होनी चाहिये।
		कलेक्टर (सचिव जिला समिति)	1.00 करोड़ तक	
4	एकलव्य आवासीय विद्यालय सोसाईटी हेतु विभिन्न योजनाओं के अधीन प्लान एवं निर्माण के विस्तृत प्राक्कलना पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना	कार्यपालन यंत्री, आदिवासी विकास	5.00 करोड़ तक	-
5	एकलव्य आवासीय विद्यालय सोसाईटी हेतु विभिन्न योजनाओं के अधीन विभागीय सुदृढीकरण एवं अनुरक्षण के कार्यों पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना	कार्यपालन यंत्री, आदिवासी विकास	2.00 करोड़ तक	-
6	एकलव्य आवासीय विद्यालय सोसाईटी हेतु विभिन्न योजनाओं के अधीन निर्माण /अनुरक्षण/ सुदृढीकरण कार्यों हेतु ऐसे कार्य जो दर अनुसूची मे अनुबन्धित नहीं है की दर निर्धारित करना एवं स्वीकृति प्रदान करना।	सचिव	पूर्ण अधिकार	कार्यपालन यंत्री की सलाह पर।
		कलेक्टर (सचिव जिला समिति)	5.00 लाख तक	
		प्राचार्य	2.00 लाख	सहायक यंत्री/उपयंत्री की सलाह पर।
7	एकलव्य आवासीय विद्यालय सोसाईटी हेतु विभिन्न योजनाओं के	सचिव	पूर्ण अधिकार	देयक एवं माप अधिकृत उपयंत्री/ सहायक यंत्री

92

	अधीन विभागीय निर्माण /अनुरक्षण/ सुदृढीकरण कार्यो के रनिग एवं अन्तिम देयक पारित करना।			द्वारा की गई हो तथा कार्यपालन यंत्री के सलाह पर ।
		कलेक्टर (सचिव जिला समिति)	15.00 लाख	देयक एवं माप अधिकृत उपयंत्री/ सहायक यंत्री द्वारा की गई हो तथा कार्यपालन यंत्री के सलाह पर ।
		प्राचार्य	2.00 लाख	सहायक यंत्री की सलाह पर।
8	एकलव्य आवासीय विद्यालय सोसाईटी हेतु विभिन्न याजनाओं के अधीन विभागीय निर्माण /अनुरक्षण /सुदृढीकरण कार्यो की स्वीकृति प्रदान करना।	सचिव	पूर्ण अधिकार	-
9	प्राक्लन की प्रत्यशा मे आपत्तिक मरम्मत कार्य कराने के लिये अधिकृत करना।	सचिव	पूर्ण अधिकार	प्रशासकीय स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार की सीमा में ।
		कलेक्टर (सचिव जिला समिति)	15.00 लाख	प्रशासकीय स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार की सीमा में ।
10	पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति	सचिव	पूर्ण अधिकार	माप अधिकृत उपयंत्री/ सहायक यंत्री द्वारा दर्ज की गई हो तथा कार्यपालन यंत्री के अनुशंसा पर ।
		कलेक्टर (सचिव जिला समिति)	पूर्ण अधिकार	माप अधिकृत उप यंत्री/ सहायक यंत्री द्वारा दर्ज की गई हो तथा कार्यपालन यंत्री के अनुशंसा पर ।
11	माप पुस्तिकाओं के अपलेखन की शक्ति।	सचिव	पूर्ण अधिकार	कार्य विभाग के मैन्युअल अनुसार

26. सोसाइटी के बायलॉज की वैद्यता/संशोधन:-

समय-समय इन नियमों में संशोधन /परिवर्तन संचालक मण्डल की अनुशंसा पर आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

91

27. सोसाइटी को भंग करने का अधिकार:-

म.प्र.सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 की धारा 34 (अध्याय 8) में निहित प्रावधान अनुसार सोसाइटी को भंग करने अथवा समाप्त करने का अधिकार म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग को होगा।

el

कन्या शिक्षा परिसर:-

1. कन्या शिक्षा परिसर, अनूपपुर जिला अनूपपुर
2. कन्या शिक्षा परिसर, जैतहरी जिला अनूपपुर
3. कन्या शिक्षा परिसर, पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर
4. कन्या शिक्षा परिसर, कट्टीवाड़ा जिला अलीराजपुर
5. कन्या शिक्षा परिसर, सोंडवा जिला अलीराजपुर
6. कन्या शिक्षा परिसर, उदयगढ़ जिला अलीराजपुर
7. कन्या शिक्षा परिसर, जोबट जिला अलीराजपुर
8. कन्या शिक्षा परिसर, भाबरा जिला अलीराजपुर
9. कन्या शिक्षा परिसर, उमरिया जिला उमरिया
10. कन्या शिक्षा परिसर, पाली जिला उमरिया
11. कन्या शिक्षा परिसर, कटनी जिला कटनी
12. कन्या शिक्षा परिसर, आशापुर जिला खण्डवा
13. कन्या शिक्षा परिसर, राजुर जिला खण्डवा
14. कन्या शिक्षा परिसर, खण्डवा जिला खण्डवा
15. कन्या शिक्षा परिसर, महेश्वर जिला खरगोन
16. कन्या शिक्षा परिसर, खरगोन जिला खरगोन
17. कन्या शिक्षा परिसर, धूलकोट जिला खरगोन
18. कन्या शिक्षा परिसर, गोगांवा जिला खरगोन
19. कन्या शिक्षा परिसर, जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा
20. कन्या शिक्षा परिसर, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा
21. कन्या शिक्षा परिसर, बिछुआ जिला छिन्दवाड़ा
22. कन्या शिक्षा परिसर, राणापुर जिला झाबुआ
23. कन्या शिक्षा परिसर, थांदला जिला झाबुआ
24. कन्या शिक्षा परिसर, झाबुआ जिला झाबुआ
25. कन्या शिक्षा परिसर, रामा जिला झाबुआ
26. कन्या शिक्षा परिसर, मेहदवानी जिला डिण्डौरी
27. कन्या शिक्षा परिसर, डिण्डौरी जिला डिण्डौरी
28. कन्या शिक्षा परिसर, बजाग जिला डिण्डौरी
29. कन्या शिक्षा परिसर, करंजिया जिला डिण्डौरी
30. कन्या शिक्षा परिसर, बाग जिला धार
31. कन्या शिक्षा परिसर, धार जिला धार
32. कन्या शिक्षा परिसर, मनावर जिला धार
33. कन्या शिक्षा परिसर, तिरला जिला धार
34. कन्या शिक्षा परिसर, धरमपुरी जिला धार
35. कन्या शिक्षा परिसर, डही जिला धार

el.

36. कन्या शिक्षा परिसर, सरदारपुर जिला धार
37. कन्या शिक्षा परिसर, उमरवन जिला धार
38. कन्या शिक्षा परिसर, बड़वानी जिला बड़वानी
39. कन्या शिक्षा परिसर, पाटी जिला बड़वानी
40. कन्या शिक्षा परिसर, सेंधवा जिला बड़वानी
41. कन्या शिक्षा परिसर, निवाली जिला बड़वानी
42. कन्या शिक्षा परिसर, पानसेमल जिला बड़वानी
43. कन्या शिक्षा परिसर, बालाघाट जिला बालाघाट
44. कन्या शिक्षा परिसर, बैहर जिला बालाघाट
45. कन्या शिक्षा परिसर, परसवाड़ा जिला बालाघाट
46. कन्या शिक्षा परिसर, खकनार जिला बुरहानपुर
47. कन्या शिक्षा परिसर, बैतूल जिला बैतूल
48. कन्या शिक्षा परिसर, चिचोली जिला बैतूल
49. कन्या शिक्षा परिसर, भैंसदेही जिला बैतूल
50. कन्या शिक्षा परिसर, मण्डला जिला मण्डला
51. कन्या शिक्षा परिसर, बिछिया जिला मण्डला
52. कन्या शिक्षा परिसर, मोहगांव जिला मण्डला
53. कन्या शिक्षा परिसर, बीजाडाण्डी जिला मण्डला
54. कन्या शिक्षा परिसर, श्योपुर जिला श्योपुर
55. कन्या शिक्षा परिसर, सैलाना जिला रतलाम
56. कन्या शिक्षा परिसर, रतलाम जिला रतलाम
57. कन्या शिक्षा परिसर, शहडोल जिला शहडोल
58. कन्या शिक्षा परिसर, जैतपुर जिला शहडोल
59. कन्या शिक्षा परिसर, बुढ़ार जिला शहडोल
60. कन्या शिक्षा परिसर, सिंगरोली जिला सिंगरोली
61. कन्या शिक्षा परिसर, कुरई जिला सिवनी
62. कन्या शिक्षा परिसर, सिवनी जिला सिवनी
63. कन्या शिक्षा परिसर, सीधी जिला सीधी
64. कन्या शिक्षा परिसर, कुसमी जिला सीधी
65. कन्या शिक्षा परिसर, सीहोर जिला सीहोर
66. कन्या शिक्षा परिसर, हरदा जिला हरदा
67. कन्या शिक्षा परिसर, होशंगाबाद जिला होशंगाबाद
68. कन्या शिक्षा परिसर, शिवपुरी जिला शिवपुरी
69. कन्या शिक्षा परिसर, रायसेन जिला रायसेन

आदर्श आवासीय विद्यालय:-

1. आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरगोन, जिला खरगोन
2. आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खण्डवा, जिला खण्डवा
3. आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तवानगर, जिला होशंगाबाद
4. आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मलाजखण्ड, जिला बालाघाट
5. आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्योपुर, जिला श्योपुर
6. आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घुरहट, जिला सीधी
7. आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धार, जिला धार
8. आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जयसिंहनगर, जिला शहडोल

3. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय:-

1. एकलव्य आदर्श विद्यालय सोहागपुर, जिला शहडोल
2. एकलव्य आदर्श विद्यालय कुक्षी, जिला धार
3. एकलव्य आदर्श विद्यालय मण्डला, जिला मण्डला
4. एकलव्य आदर्श विद्यालय मैहर, जिला सतना
5. एकलव्य आदर्श विद्यालय खरगोन, जिला खरगोन
6. एकलव्य आदर्श विद्यालय सेंधवा, जिला बड़वानी
7. एकलव्य आदर्श विद्यालय अनूपपुर, जिला अनूपपुर
8. एकलव्य आदर्श विद्यालय घंसौर, जिला सिवनी
9. एकलव्य आदर्श विद्यालय शाहपुर, जिला बैतूल
10. एकलव्य आदर्श विद्यालय गरडावद, जिला धार
11. एकलव्य आदर्श विद्यालय केसला, जिला होशंगाबाद
12. एकलव्य आदर्श विद्यालय बड़वानी, जिला बड़वानी
13. एकलव्य आदर्श विद्यालय सैलाना, जिला रतलाम
14. एकलव्य आदर्श विद्यालय नरईनाला, जिला जबलपुर
15. एकलव्य आदर्श विद्यालय परसवाड़ा, जिला बालाघाट
16. एकलव्य आदर्श विद्यालय बुधनी, जिला सीहोर
17. एकलव्य आदर्श विद्यालय सिझौरा, जिला मण्डला
18. एकलव्य आदर्श विद्यालय विठुआ, जिला छिन्दवाड़ा
19. एकलव्य आदर्श विद्यालय चंद्रशेखर आजाद नगर, जिला अलीराजपुर
20. एकलव्य आदर्श विद्यालय सोण्डवा, जिला अलीराजपुर
21. एकलव्य आदर्श विद्यालय कुसमी, जिला सीधी
22. एकलव्य आदर्श विद्यालय थांदला, जिला झाबुआ
23. एकलव्य आदर्श विद्यालय राणापुर, जिला झाबुआ
24. एकलव्य आदर्श विद्यालय सिंगरोली, जिला सिंगरोली
25. एकलव्य आदर्श विद्यालय चित्रकूट, जिला सतना

26. एकलव्य आदर्श विद्यालय खालवा, जिला खण्डवा
27. एकलव्य आदर्श विद्यालय पाली, जिला उमरिया
28. एकलव्य आदर्श विद्यालय जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा
29. एकलव्य आदर्श विद्यालय डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी
30. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (पी.टी.जी.) गुना, जिला गुना
31. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (पी.टी.जी.) इन्दौर, जिला इन्दौर
32. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (पी.टी.जी.) जबलपुर, जिला जबलपुर
33. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (पी.टी.जी.) श्योपुर, जिला श्योपुर
34. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भोपाल, जिला भोपाल
35. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय इन्दौर, जिला इन्दौर
36. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जबलपुर, जिला जबलपुर
37. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शहडोल, जिला शहडोल
38. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अलीराजपुर जिला अलीराजपुर
39. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय झिरन्या जिला खरगोन
40. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हरई जिला छिन्दवाड़ा
41. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय तामिया जिला छिन्दवाड़ा
42. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेटलावद जिला झाबुआ
43. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मेघनगर जिला झाबुआ
44. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शहपुरा जिला डिण्डौरी
45. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय गंधवानी जिला धार
46. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय राजपुर जिला बड़वानी

कुल 123 विद्यालय ।

el.